



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 95 राँची, गुरुवार,

31 जनवरी, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 जनवरी, 2019

संख्या-एल०जी०-०९/२०१८-२२७/लेज०-- झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक 28 जनवरी, 2019 को अनुमति दे चूँकि है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018

(झारखण्ड अधिनियम, 03, 2019)

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें (६९वें) वर्ष में झारखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

(1) यह अधिनियम झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-2 की उपधारा-2(ज) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

“निजी या वैयक्तिक वाहन से अभिप्रेत वैसे सभी दो पहिया मोटरवाहन (मोपेड, स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाईकिल इत्यादि) तथा चार पहिया मोटरवाहन यथा मोटरकार, ओमनी बस या स्टेशन वैगन, 2 सीट से 12 सीट बैठान क्षमता का (ड्राईवर सहित) जिनका केवल निजी कार्या में प्रयोग किया जाता है।”

3. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-5 में नई उपधारा-5(5) निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित की जायेगी।

“5(5)प्रत्येक वाहन स्वामी द्वारा जिनके पास 12 वर्षों से अधिक पुराना निबंधित परिवहन वाहन एवं 15 वर्षों से अधिक पुराना निजी वाहन है, पर कुल कर का 10 प्रतिशत् “हरित कर” के रूप में देय होगा।”।

4. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-5(2) का विलोपन झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-5(2) एवं संबद्ध अनुसूची-II को विलोपित समझा जायेगा।

5. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-5 में नई उपधारा-5(6) निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित की जायेगी।

“धारा-5(6) सभी वाहन जो केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत ‘बैटरी चालित यान’ परिभाषा से आच्छादित होंगे, को कुल कर का 25% (पचीस प्रतिशत) की छूट दी जायेगी।”

6. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-6 की अनुसूची का प्रतिस्थापन झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-6 में कर के भुगतान हेतु अनुसूची-III को संलग्न अनुसूची-III से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

7. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की अनुसूची का प्रतिस्थापन एवं परन्तुक का प्रतिस्थापन

झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत अनुसूची-1(क) को संलग्न अनुसूची-1(क) से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

”परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के उपरांत विर्निदिष्ट अवधि (7 दिनों के अंदर) में एकमुश्त कर जमा नहीं करने तथा विलंब से एकमुश्त कर जमा करने की स्थिति में देय कर का 2% (दो प्रतिशत) साधारण ब्याज प्रतिमाह की दर से अर्थदंड वसूलनीय होगा।”

8. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की अनुसूची का प्रतिस्थापन झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत अनुसूची-1(ख) को संलग्न अनुसूची-1(ख) से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
9. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7(3) में परन्तुक को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा

परन्तु प्रत्येक परिवहन वाहन (मालवाहक एवं मोटरकैब को छोड़कर) के मोटर वाहन कर की गणना, व्हील बेस पर आधारित यात्रियों के लिए बैठान संख्या चालक एवं संवाहक को छोड़कर पर निम्नलिखित तालिका में स्तम्भ 2,3 एवं 4 में इंगित संख्या के अनुसार की जायेगी :-

(क) वाहनों के प्रकार के अनुसार व्हील बेस आधारित सीटों की तालिका

व्हील बेस (ईच में)	साधारण बस	सेमी डीलक्स बस	ए.सी.डीलक्स/ डीलक्स बस
1	2	3	4
243	63	50	45
228	61	49	41
216	55	44	37
210	54	43	36
206	53	42	35
205	53	42	35
203	53	42	35
204	53	42	35
190	48	38	32
180	40	32	27
179	38	30	25
176	37	30	25
167	33	26	22
166	33	26	22
165	33	26	22
163	32	26	21
143	28	22	19
142	25	20	17

(ख) कंपनी द्वारा निर्मित मोटर वाहनों की दशा में, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम-126 के अनुसार प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा अनुमोदित सीटों के आधार पर, कर की गणना की जाएगी।

10. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा 7(4) के परन्तुक में संशोधन

उपधारा-7(4) में अंकित अस्थायी निबंधन कर "रुपये 50" के बदले "100/- (एक सौ) रुपये" एवं "रुपये 100" के बदले "400/- (चार सौ) रुपये" प्रतिस्थापित किया जाता है।

11. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा 7(5) को परन्तुक सहित निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा इस राज्य में अस्थायी रूप से चलने वाले दूसरे राज्यों के निबंधित परिवहन वाहनों के लिए उस अधिसूचना में विनिंदिष्ट दर पर कर भुगतान करने पर अस्थायी कर प्रतीक निर्गत किया जा सकेगा।

12. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा (7) निम्नलिखित रूप से अन्तःस्थापित किया जायेगा

"उपधारा(7) ट्रैक्टर के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 4% (चार प्रतिशत) एकमुश्त आजीवन पथकर देय होगा;

परन्तु यह कि ट्रैक्टर के ट्रेलर के निबंधन के समय ट्रेलर से 5,000/- (पाँच हजार) रुपये एकमुश्त पथकर वसूलनीय होगा"।

13. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-9 में उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा

"परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा पथकर के भुगतान के लिए प्रारम्भ की गयी बैंकों के माध्यम से ई-पेमेंट की विहित प्रक्रिया द्वारा वाहन स्वामी के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि से जमा की गयी राशि के फलस्वरूप निर्गत कम्प्यूटरीकृत टोकन ही उक्त धारा के अध्यधीन 'टैक्स टोकन' व्यवहृत किया जायेगा। इस टोकन पर पदाधिकारी का मूल हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा। इसी प्रकार वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत 'टैक्स टोकन' पर भी करारोपण पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं होगा।"

14. झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-12 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा

"परन्तु बकाया कर मालवाहक एवं यात्री परिवहन यानों के लिए अर्थदण्ड की राशि 50,000 (पचास हजार) रु. तथा तीन पहिया वाहन के लिए 10,000(दस हजार) रु. हल्के मोटर वाहन के लिए 25,000 (पचीस हजार) रु. या अधिक होने की स्थिति में राज्य परिवहन आयुक्त से अन्यून स्तर के पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी आवेदन प्राप्ति के दो माह के अन्दर बकाया कर/अर्थदण्ड की राशि मासिक किश्तों में वर्तमान कर के साथ स्वीकार कर औपर्यंथिक कर-प्रतीक निर्गत करने के आदेश दे सकेंगे, जो किसी भी स्थिति में चार किश्तों से अधिक नहीं होगी।"

अनुसूची-।

भाग-क

व्यक्तिक वाहनों के लिए एक मुश्त कर की दर-तालिका
(धारा-5 एवं 7 की उप-धारा (1) देखें)

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग		
			दो पहिया मोटरवाहन	व्यक्तिगत चार पहिया मोटरवाहन (2 से 12 बैठान क्षमता तक)	खण्ड अ एवं ब कॉलम-5 के अन्तर्गत अतिरिक्त कर
1	2	3	4	5	6
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र	एकमुश्त कर वाहन के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 6%	एकमुश्त कर वाहन के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 6%	(i) अतिरिक्त कर 3% की दर से एकमुश्त कर खण्ड अ एवं ब कॉलम-5 में उल्लेखित दर के अतिरिक्त वैसे वाहन स्वामियों से लिया जायेगा जिनके नाम पर पूर्व से व्यक्तिगत वाहन निबंधित हैं। (ii) अतिरिक्त लग्जरी कर 3% की दर से एकमुश्त कर खण्ड अ एवं ब कॉलम-5 में उल्लेखित दर के अतिरिक्त वैसे वाहनों पर लिया जायेगा जिनका जी.एस.टी. रहित मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक हो तथा वाहन स्वामी के नाम से पूर्व से कोई व्यक्तिगत वाहन निबंधित नहीं हो।
	1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	95 %	95 %	
	2	दो वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम	90 %	90 %	
	3	तीन वर्ष से अधिक	85 %	85 %	

		किन्तु चार वर्ष से कम			
	4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम	80 %	80 %	
	5	पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से कम	75 %	75 %	
	6	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	70 %	70 %	
	7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	65 %	65 %	
	8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	60 %	60 %	
	9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	55 %	55 %	
	10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पन्द्रह वर्ष से कम	50 %	50 %	
	15	पन्द्रह वर्ष से अधिक	50 %	50 %	

अनुसूची-।

भाग-ख

वैयक्तिक वाहनों के लिए कर वापसी की दर-तालिका
(धारा-7 की उप-धारा (2) देखें)

खंड	वापसी का स्केल	वाहनों का श्रेणी	
		दो पहिया मोटरवाहन	व्यक्तिगत चार पहिया मोटरवाहन (2 से 12 बैठान क्षमता तक)
1	2	3	4
	निबंधन के बाद यदि वाहन के निबंधन का रद्दीकरण या राज्य से वर्हिगमन किया जाता हो-	अनुसूची। भाग-क के अधीन उद्गृहित एक मुश्त कर के रूप में दिए गये कर की वापसी	अनुसूची। भाग-क के अधीन उद्गृहित एक मुश्त कर का प्रतिशत के रूप में दिए गये कर की वापसी
1	एक वर्ष के भीतर	92 प्रतिशत्	92 प्रतिशत्
2	एक वर्ष के बाद परन्तु दो वर्ष के भीतर	85 प्रतिशत्	85 प्रतिशत्
3	दो एक वर्ष के बाद परन्तु तीन वर्ष के भीतर	78 प्रतिशत्	78 प्रतिशत्
4	तीन वर्ष के बाद परन्तु चार वर्ष के भीतर	71 प्रतिशत्	71 प्रतिशत्
5	चार वर्ष के बाद परन्तु पाँच वर्ष के भीतर	64 प्रतिशत्	64 प्रतिशत्
6	पाँच वर्ष के बाद परन्तु छः वर्ष के भीतर	57 प्रतिशत्	57 प्रतिशत्
7	छः वर्ष के बाद परन्तु सात वर्ष के भीतर	49 प्रतिशत्	49 प्रतिशत्
8	सात वर्ष के बाद परन्तु आठ वर्ष के भीतर	41 प्रतिशत्	41 प्रतिशत्
9	आठ वर्ष के बाद परन्तु नौ वर्ष के भीतर	33 प्रतिशत्	33 प्रतिशत्
10	नौ वर्ष के बाद परन्तु दस वर्ष के भीतर	25 प्रतिशत्	25 प्रतिशत्
11	दस वर्ष के बाद परन्तु उत्तरह वर्ष के भीतर	17 प्रतिशत्	17 प्रतिशत्
12	उत्तरह वर्ष के बाद परन्तु बारह वर्ष के भीतर	9 प्रतिशत्	9 प्रतिशत्
13	बारह वर्ष के बाद परन्तु तेरह वर्ष के भीतर	शून्य	शून्य
14	तेरह वर्ष के बाद परन्तु चौदह वर्ष के भीतर	शून्य	शून्य
15	चौदह वर्ष के बाद	शून्य	शून्य

अनुसूची-।

भाग-ग

मोटर वाहनों की दर-तालिका
(धारा-5 की उप-धारा 1 देखें)

क्रमांक	गाड़ी की श्रेणी		मोटरवाहन कर की वार्षिक दर
1	अशक्त व्यक्तियों के वाहन के लिये		शून्य
2	माल वाहक गाड़ी (ट्रेलर को छोड़कर)		
क	1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता	i	<p>1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 9000/- उद्गृहित किया जायेगा।</p> <p>परन्तु उक्त श्रेणी के जो माल वाहक पूर्व से निबंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी।</p> <p>परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में 9000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा।</p>
		ii	<p>10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 9000/- उद्गृहीत किया जायेगा।</p> <p>परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जाएगी;</p> <p>परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रु. 9000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।</p>
ख	1000 कि.ग्रा. से अधिक परन्तु 3000 कि.ग्रा. से अनधिक निबंधित लदान क्षमता	i	<p>1001 से 3000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 7500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से देय होगा;</p> <p>परन्तु ऐसे माल वाहक जो पूर्व से निबंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जायेगी।</p>

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 31 जनवरी, 2019

		ii	<p>10 वर्ष से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु. 7500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से उद्गृहित किया जायेगा;</p> <p>परन्तु यह कि उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जायेगी।</p> <p>परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रति टन अथवा उसके अंश पर रु. 7500/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।</p>
	ग	3000 कि.ग्रा. से अधिक निबंधित लदान क्षमता	प्रति टन अथवा उसके अंश के लिए 800/- रु. वार्षिक
3	क	मोटर कैब एवं ओमनी बस	<p>टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब पर जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 7% की दर से 12 वर्षों के लिए एक मुश्त कर उद्गृहित किया जायेगा एवं अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्गृहित किया जायेगा।</p> <p>परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगतेय एक मुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गई कर की राशि को अनुसूची-1 के अनुसार घटाकर की जायेगी।</p>
	ख	तीन पहिया वाहन	<p>क</p> <p>चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)</p> <p>नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु. 9000 (नौ हजार) एकमुश्त कर देय होगा।</p> <p>अथवा</p> <p>सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एकमुश्त कर रु.6,000 (छह हजार) देय होगा।</p> <p>अथवा</p> <p>10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु.6,000 (छह हजार) कर देय</p>

				होगा।
		ख	7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)- नये निर्बंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु.13,500 (तेरह पाँच सौ) एक मुश्त कर देय होगा। अथवा सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निर्बंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निर्बंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एकमुश्त कर रु.9,000 (नौ हजार) कर देय होगा।” अथवा दस वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त 9,000 (नौ हजार) कर देय होगा।	
4	यात्री परिवहन वाहन			
1	मालवाहक, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से अन्यथा पैसेन्जर परिवहन वाहन (चालक एवं संवाहक को छोड़कर)	कर की दर ^{वार्षिक} (साधारण बस)	कर की दर ^{वार्षिक} (सेमी डीलक्स)	कर की दर वार्षिक (डीलक्स)
(क)	13 व्यक्तियं से अन्यून और 26 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता	रु. 500 प्रति सीट	रु. 625 प्रति सीट	रु. 735 प्रति सीट
(ख)	27 व्यक्तियं से अन्यून और 32 व्यक्तियों से अनधिक बैठान क्षमता	रु. 550 प्रति सीट	रु. 700 प्रति सीट	रु. 810 प्रति सीट
(ग)	33 व्यक्तियं या उससे अधिक बैठान क्षमता	रु. 650 प्रति सीट	रु. 820 प्रति सीट	रु. 975 प्रति सीट
(घ)	वाल्वों, मर्सीडीज एवं उसके समतुल्य बस	-	-	रु. 1250 प्रति सीट
5	क्रेन, पोकलेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन) जो सामान्य रूप से जे.सी.बी., बोरिंग मशीन अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित खोटक मशीन/यान के रूप में जानी जाती हो	यान की जी.एस.टी. रहित कीमत का 7% एकमुश्त ^{कर} 12 वर्षों के लिए उद्ग्रहीत किया जायेगा। अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्ग्रहीत किया जायेगा।		
6	ट्रेलर (ट्रैक्टर ट्रेलर से भिन्न) 5000 कि.ग्रा. से अधिक निर्बंधित लदान क्षमता	ट्रेलर की जी.एस.टी. रहित कीमत का 7% एकमुश्त कर 12 वर्षों के लिए उद्ग्रहीत किया जायेगा। अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्ग्रहीत किया जायेगा।		

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 31 जनवरी, 2019

अनुसूची-III

व्यापारी या निर्माता द्वारा देय कर की दर-तालिका

व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी		व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर	
1	दो पहिया वाहन	200.00	दो सौ रुपये प्रति वाहन
2	अन्य वाहन	300.00	तीन सौ रुपये प्रति वाहन
3	भारी वाहनों एवं चेसिस	400.00	चार सौ रुपये प्रति वाहन

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(संजय प्रसाद)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 जनवरी, 2019

संख्या- एल०जी०-०९/२०१८-२२८/लेज०-- झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापरित और माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2019 को अनुमत झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2018

(JHARKHAND ACT, 03, 2019)

An Act to amend Jharkhand Motor Vehicle Taxation Act, 2001

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Ninth (69th) year of the republic as follows:-

1. Short little, extent and commencement:-

- a) This Act shall be called Jharkhand Motor vehicle Taxation (Amendment) Act, 2018.
- b) It shall extend to the whole of the state of Jharkhand.
- c) It shall come into force with immediate effect.

2. Sub - section 2 (h) of section 2 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 shall be replaced as follows:-

" Personalized vehicle means all two wheelers (Moped, Scooter, Scooty, Motorcycle etc.) and four wheelers such as motor car, Omni Bus or station wagon, having Two (2) seats to Twelve (12) seating capacity including driver which are solely used for personal purposes"

3. A new sub- section 5 (5) shall be inserted in section 5 of the Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 as follows:-

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 31 जनवरी, 2019

" Every owner of the transport vehicles, being more than 12 years old and personalized vehicles being more than 15 years old shall be liable to pay " GREEN TAX" at the rate of 10% on the total payable tax."

4. Omission of section 5 (2) of the Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act., 2001.

" Sub- Section 5 (2) and specified schedule -II shall be deemed to be omitted.

5. Sub- Section 5 (6) in section 5 of the Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 shall be inserted.

Section 5(6):- A rebate at the rate of 25% of total liable tax shall be permissible to all the vehicles which comes under the definition of "Battery operated vehicles under Central Motor Vehicles Rule 1989".

6. Replacement of schedule specified under section 6 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.

"Schedule- III specified under section 6 of the Jharkhand Motor vehicles Taxation Act, 2001 for payment of tax shall be replaced by new specified schedule-III."

7. Replacement of schedule and Provision of section 7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act. 2001.

The specified schedule -1 part (A) under sub- section (1) of Section(7) of Jharkhand Motor vehicles taxation Act. 2001 shall be replaced by new specified schedule 1 part (A)

"Provided that in case of non-payment of one time - tax within 7 days from the date of commencement of this act or in case of belated payment of one time tax, a simple interest at the rate of 2% per month on due tax shall be charged."

8. Replacement of schedule specified under Section (7) of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act.- 2001.

The Specified schedule-1 Para- B under sub-section (2) of section 7 of Jharkhand Motor vehicle taxation act, 2001 shall be replaced by a new schedule 1 part (B)

9. The Proviso of section 7 (3) of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 shall be replaced as follows:-

"Provided that for every transport vehicle (excluding goods carriage and motor cab), Motor vehicle tax will be calculated on the basis of number of seats excluding driver and conductor as mentioned in column 2,3 and 4 of table given below on the criteria of wheel base :-

a) Table for seats in respect of nature of vehicles according to wheel base

Wheel Base (In inch)	Ordinary Bus	Semi Deluxe Bus	AC Deluxe Bus
1	2	3	4
243	63	50	45
228	61	49	41
216	55	44	37
210	54	43	36
206	53	42	36
205	53	42	35
203	53	42	35
204	53	42	35
190	48	38	32
180	40	32	27
179	38	30	25
176	37	30	25
167	33	26	22
166	33	26	22
165	33	26	22
163	32	26	21
163	28	22	19
142	25	20	17

b) In case of motor vehicles, manufactured by company, the tax shall be calculated on the basis of approved seats by authorized agencies as per Rule - 126 of central motor vehicles rules, 1989.

10. **Amendment in proviso of sub- section 4 of section 7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.**

"Tax for temporary registration, mentioned under provision of section 7(4), is being replaced by Rs. 100/- (One Hundred) and 400/- (Four Hundred) in place of Rs. 50/- and Rs. 100/-"

11. **Sub Section (5) along with its provision of section 7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 shall be replaced as follows:-**

"The Government may, by notification from time to time, direct that a temporary tax token may be issued in respect of Transport vehicle registered in other state plying temporarily in this State on payment of tax as per rate of tax specified in the said notification."

12. **Sub- Section -7 in section 7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 shall be inserted as follows:-**

झारखण्ड गजट (असाधारण) गुरुवार, 31 जनवरी, 2019

" Sub section -"7" - Life Time tax at the time of registration shall be levied at the rate of 4% (Four Percent) of the cost of the tractor excluding GST,

Provided that one time- Tax at the time of Registration of Trailer of a tractor shall be liable to pay Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand)."

13. The following proviso shall be inserted in sub- section 1 of section 9 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001:-

"Provided that the computerized Token issued under - "E- payment scheme launched by the State Government for the payment of road tax paid by the owner of the vehicle in proper manner through debit card/ credit card/ internet banking etc. shall be treated as a valid Tax- Token under the Act, Signature of the taxiing officer shall not be required on such tax token. Similarly tax token issued through "VAHAN" software shall not require the signature of the taxing officer"

14. In the Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 the following provision shall be inserted in section 12, namely:-

" Provided that in case of outstanding amount arrears of tax and penalty Rs. 50,000/- (Fifty Thousand) for goods and passenger vehicles Rs. 10,000/- (Ten Thousand) for three wheelers and Rs. 25000/- (Rs. Twenty Five Thousand) for light motor vehicles an authority not below the rank of Transport commissioner or an officer authorized by him may order to accept such outstanding amount with current tax in monthly installment, preferably within two months after receipt of application which shall not in any case be more than four installments and in such case a provisional tax token may be issued by the taxing authority".

SCHEDULE-1,

Part- "A'

Rate chart of one-time tax for personalized vehicles
(See Sub-section (i) of section 5 & 7)

Clause	Sl.No.	Stages of Registration	Class of Motor Vehicles		
			Two wheeler motor vehicle	Personalized four wheeler motor vehicle (2 to 12 seating capacity)	Additional Tax under Clause A & B Column No. 5
1	2	3	4	5	6
A		Up to one year of age at the time of registration or first registration	One time tax at the rate of 6% of cost of vehicle excluding GST	One time tax at the rate of 6% of cost of vehicle excluding GST	(i) Extra Additional tax at the rate of 3% shall be levied on payable one-time tax under clause A & B Column No.-5 provided the owner of such vehicle already owns a personalized vehicle in his/her name. (ii) Extra Additional tax at the rate of 3% on the cost of the vehicle exceeding Rs.15 lacs excluding GST shall be levied on payable one-time tax under clause A & B Column no.-5 provided the owner of such vehicle does not possess any other personalized vehicle in his/her name prior to it.
B		If the Motor vehicle is already registered and its age from the first registration is	Percentage of one time tax levied under clause A Column (4)	Percentage of one Time tax Levied under clause A column (5)	
	1	More than one year but not more than two years	95%	95%	
	2	More than two year but not more than three years	90%	90%	
	3	More than three year	85%	85%	

ઝારખણ્ડ ગજટ (અસાધારણ) ગુરુવાર, 31 જનવરી, 2019

		but not more than four years			
	4	More than four year but not more than Five years	80%	80%	
	5	More than Five year but not more than Six years	75%	75%	
	6	More than Six year but not more than Seven years	70%	70%	
	7	More than Seven year but not more than Eight years	65%	65%	
	8	More than Eight year but not more than Nine years	60%	60%	
	9	More than Nine year but not more than Ten years	55%	55%	
	10	More than Ten year but not more than Eleven years	50%	50%	
	11	More than Eleven year but not more than Twelve years	50%	50%	
	12	More than Twelve year but not more than Thirteen years	50%	50%	
	13	More than Thirteen year but not more than Fourteen years	50%	50%	
	14	More than Fourteen year but not more than Fifteen years	50%	50%	
	15	More than Fifteen years	50%	50%	

SCHEDULE-1,

Part- "B"

Rate chart for refund of one-time tax for personalized vehicles
(See Sub-section (2) of section 7)

Sl.No.	Scale of refund	Class of Motor Vehicles	
		Two wheeler motor vehicle	Personalized four wheeler motor vehicle (2 to 12 seating capacity)
1	2	3	4
	If after registration certificate of registration of the vehicle on its exit from the State takes place	Refund of the tax paid as a percentage of one-time tax levied under schedule -1 part A	Refund of the tax paid as a percentage of one-time tax levied under schedule-1 Part- A
1.	Within one year	92%	92%
2.	After one year but within two years	85%	85%
3.	After two year but within three years	78%	78%
4.	After three year but within four years	71%	71%
5.	After four year but within five years	64%	64%
6.	After five year but within six years	57%	57%
7.	After six year but within seven years	49%	49%
8.	After seven year but within Eight years	41%	41%
9.	After Eight year but within Nine years	33%	33%
10.	After Nine year but within Ten years	25%	25%
11.	After Ten year but within Eleven years	17%	17%
12.	After Eleven year but within Twelve years	9%	9%
13.	After Twelve year but within Thirteen years	NIL	NIL
14.	After Thirteen year but within Fourteen years	NIL	NIL
15.	After Fourteen years	NIL	NIL

SCHEDULE-1

Part- "C"

**Rate chart of Motor Vehicles
(See Sub-section (1) of section 5)**

Sl. No.	Class of Vehicle		Annual rate of tax on motor vehicles
1	Carriage for disabled persons		Nil
2	Goods carriage excluding Trailers -		
	a) Upto 1000 Kgs registered laden weight capacity	i)	<p>One time tax of Rs. 9000/- at the time of registration in the State for 10 year from the date of first registrations shall be levied on goods vehicles upto 1000 kg of weight capacity</p> <p>Provided that one time tax payable by such vehicles already registered shall be calculated after deduction of the tax amount already paid earlier</p> <p>Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle had already paid more than Rs. 9000/- as taxes</p>
		ii)	<p>For goods vehicles more than 10 years old one time tax of Rs. 9,000/- shall be levied for a period of every five years thereafter shall be levied.</p> <p>Provided that one time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after 10 years period or 15 years which ever may be applicable</p> <p>Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicle has already paid more than Rs. 9000/- as taxes.</p>
	b) Exceeding 1000 kgs but not exceeding 3000 kgs of registered laden weight capacity	i)	<p>One time tax of Rs. 7500/- per ton or part thereof at the time of registration for a period of 10 years from the date of first registration in the State shall be levied on goods vehicles upto 1001 to 3000 Kgs weight capacity.</p> <p>Provided that one time tax payable by such vehicle already registered earlier shall be calculated after deducting the tax amount already paid.</p>
		ii)	<p>For vehicle more than 10 years old one time tax of Rs. 7500/- per ton or part thereof for a period of every five years thereafter shall be levied.</p> <p>Provided that one time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid after 10 years or 15 years period which ever may be applicable.</p> <p>Provided further that no one time tax shall be payable if the vehicles has already paid more than Rs. 7500/- per ton or part thereof as taxes.</p>
	c) Exceeding 3000 kg registered laden weight capacity		Rs. 800/- per ton or part thereof yearly.

3	a)	Motor Cab and Omni Bus		<p>One Time tax at the rate of 7% of the cost of taxi, motor cab, maxi cab excluding GST shall be levied for 12 years and 40% of one time tax plus 10% green tax shall be levied for further 5 years.</p> <p>Provided that one time tax payable by such vehicles shall be calculated after deducting the tax amount already paid as per SCHEDULE-1</p>
	b)	Three Wheeler vehicle	a)	<p>Seating Capacity not more than 4 seats excluding driver :-</p> <p>One Time tax Rs- 9000/- for newly registered vehicles shall be levied for 15 years.</p> <p>OR</p> <p>One time tax of Rs. 6000/- on all three wheelers up to one year age at the time of first registration shall be levied for a period of 10 years from the date of registration in the State.</p> <p>OR</p> <p>One time tax of Rs. 6000/- (Six Thousand) on more than 10 years old three wheelers vehicles shall be levied for further five years.</p>
			b)	<p>Seating capacity up to 7 seats excluding the driver :-</p> <p>One time tax of Rs. 13500/- (Rs. Thirteen Thousand Five Hundred) on newly registered three wheelers vehicles shall be levied for 15 years.</p> <p>OR</p> <p>One Time Tax of Rs- 9000/- (Nine Thousand) on all the three wheelers Vehicles up to one year of age at the time of registration shall be levied from the date of first registration in the State for 10 years.</p> <p>OR</p> <p>One time tax of Rs. 9000/- (Nine Thousand) on more than 10 years old three wheelers vehicles shall be levied for further five years.</p>

4. Passenger Transport Vehicles

1	Passenger Transport Vehicles (Excluding driver and conductor) other than goods vehicles, Motor Cab and Maxi Cab	Annual rate of Tax (Ordinary bus)	Annual rate of Tax (Semi Deluxe Bus)	Annual rate of Tax (Deluxe)	Annual rate of Tax of (Volvo Mercedes and equivalent)
(a)	Seating Capacity not less than 13 persons and not more than 26 persons	Rs. 500/- per seat	Rs. 625/- Per Seat	Rs. 735/- Per Seat	-
(b)	Seating capacity not less than 27 persons and not more than 32 persons	Rs. 550/- Per Seat	Rs. 700/- Per Seat	Rs. 810/- Per Seat	-
(c)	Seating capacity not less than 33 persons or more	Rs. 650/- Per Seat	Rs. 820/- Per Seat	Rs. 975/- Per Seat	-
(d)	Volvo, Mercedes and equivalent buses	-	-	-	Rs. 1250/- Per Seat

5	Crane, Poklane and Mechanical digging vehicles (Shoval in front and hand digging device in rear side or otherwise installed working machine) generally known as J.C.B., Boaring Machine or digging Machine/vehicles, built by other manufacturers.	One time tax at the rate of 7% of the cost of the vehicle excluding GST shall be levied for 12 years. For further five years 40% of one-time tax plus 10% green tax shall be levied.
6	Trailer (Other than tractor-Trailer)- More than 5000 kgs registered laden weight capacity.	One time tax at the rate of 7% of the cost of the trailer excluding GST shall be levied. For further 5 years 40% of one- time tax plus 10 % green tax shall be levied.

SCHEDULE - III
Rate Chart of Tax Payable by the dealer or Manufacturer.

Sl.No.	Description of vehicles in possession under a dealer or manufacturer	Annual Tax per vehicle under a dealer or manufacturer	
1	Two Wheeler	200/-	Two Hundred Per Vehicle
2	Other vehicles	300/-	Three Hundred Per Vehicle
3	Chassis and Heavy Motor Vehicles	400/-	Four Hundred Per Vehicle

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(संजय प्रसाद)
 प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
 विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।